भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 3867

सोमवार, 24 मार्च, 2025/03 चैत्र, 1946 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

पर्यटन स्थलों का विकास एवं संवर्धन

3867. डॉ. लता वानखेड़ेः

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा स्वदेश दर्शन योजना और प्रसाद योजना के अंतर्गत पर्यटन स्थलों के विकास एवं संवर्धन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं तथा इसके परिणामस्वरूप पर्यटन उद्योग में क्या सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं;

(ख) सरकार द्वारा धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या पहल की गई है और उक्त प्रयासों का स्थानीय अर्थव्यवस्था एवं रोजगार सृजन पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ग) सरकार द्वारा विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने तथा वीजा मानदंडों को आसान बनाने के लिए क्या सुधार किए गए हैं तथा इनसे देश में पर्यटन को किस प्रकार बढ़ावा मिला है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (ख): पर्यटक गंतव्यों और उत्पादों का विकास और संवर्धन संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा किया जाता है। पर्यटन मंत्रालय विभिन्न योजनाओं और पहलों के माध्यम से धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन सहित देश के विभिन्न पर्यटन उत्पादों का विकास और संवर्धन करके राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के प्रयासों को संपूरित करता है।

पर्यटन मंत्रालय 'स्वदेश दर्शन (एसडी)' और 'तीर्थस्थल जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान (प्रशाद)' की अपनी केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के माध्यम से राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता प्रदान करके देश में पर्यटन अवसंरचना के विकास के प्रयासों को संपूरित करता है।

पर्यटन मंत्रालय ने वर्ष 2019 में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के माध्यम से स्वदेश दर्शन (थीम-आधारित पर्यटक परिपथ का एकीकृत विकास) के तीसरे पक्ष का प्रभावी मूल्यांकन

किया था। अध्ययन में कहा गया है कि 'स्वदेश दर्शन योजना' आजीविका के अवसरों को बढ़ाने और निर्माण के चरण में स्थानीय समुदायों के लिए रोजगार पैदा करने में सक्षम रही है।

पर्यटन मंत्रालय ने व्यापक समीक्षा के बाद स्थायी और जिम्मेदारीयुक्त पर्यटन स्थलों के विकास के उद्देश्य से अब इस योजना को स्वदेश दर्शन 2.0 के तौर पर नया रूप दिया है।

स्वदेश और प्रशाद योजनाओं का उद्देश्य स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देना एवं अवसंरचना, विपणन स्थलों का विकास और समुदाय-आधारित पर्यटन को सहयोग देकर रोजगार पैदा करना है।

पर्यटन मंत्रालय अपनी आतिथ्य सहित घरेलू संवर्धन एवं प्रचार (डीपीपीएच) योजना के अंतर्गत मेलों/महोत्सवों और पर्यटन संबंधी कार्यक्रमों के आयोजन के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है

(ग): मंत्रालय ने नवंबर 2025 में लंदन में आयोजित वर्ल्ड टूरिज्म मार्केट में अपनी भागीदारी के दौरान 'चलो इंडिया' अभियान शुरू किया ताकि प्रवासी भारतीय को अतुल्य भारत का दूत बनने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके एवं वे अपने गैर-भारतीय मित्रों को भारत आने के लिए प्रोत्साहित कर सकें। इस पहल के तहत एक प्रोत्साहन के रूप में भारत की यात्रा करने वाले विदेशी आगंतुकों के लिए मुफ्त ई-पर्यटक वीजा प्रदान किया जाता है, यह कार्यक्रम 31 मार्च 2025 तक वैध है।

गृह मंत्रालय ने अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के संघ राज्यक्षेत्र में चिह्नित किए गए द्वीपों के लिए संरक्षित क्षेत्र परमिट (पीएपी)/प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट (आरएपी) में आगे 5 साल की और अवधि के लिए यानी 31.12.2027 तक छूट दी है।

गृह मंत्रालय ने मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड राज्यों में 31.12.2022 से आगे 5 साल की अवधि के लिए पीएपी/आरएपी में छूट जारी की है।

****